न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रूखाबाद

उपस्थितः– तरूण कुमार सिंह–I––––––––––––––एच०जे०एस० J.O.Code–UP6264

विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 67/2017

उ०प्र० राज्य प्रति **तस्कील आदि**

मु०अ०सं०– **537/2015**

धारा– **323/34, 506, 504 भा.दं.सं. व**

3(1)(द) एस.सी./एस.टी. एक्ट

थाना– **कायमगंज**

जिला–**फर्रूखाबाद**

दिनांकः 13.07.2026

पत्रावली पेश हुई। बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 25B अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० पर उभयपक्ष को पूर्व में सुना जा चुका है।

बचाव द्वारा प्रार्थना पत्र 25B अन्तर्गत धारा 311 दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में पी.डब्लू. 6 एवं पी.डब्लू. 7 के बयान दिनांकित 14.05.2026 को कराये गये, परन्तु अधिवक्ता अभियुक्तगण की जानकारी के अभाव में जिरह नहीं की जा सकी है। जिरह न किये जाने की जानकारी आज ही हो सकी है। उक्त साक्षी से जिरह के अभाव में सख्त हफतलफी व अपूर्णनीय क्षति है। न्यायहित में अभियुक्तगण को जिरह का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः उक्त वाद में पी.डब्लू. 6 व पी.डब्लू. 7 को तलब कर जिरह का अवसर प्रदान करने की याचना की गयी है।

अभियोजन द्वारा आपत्ति करते हुए कथन किया गया है कि पर्याप्त समय प्रदान किये जाने के उपरान्त भी बचाव पक्ष द्वारा जानबूझकर उक्त साक्षीगण से जिरह नहीं की गयी है। प्रस्तुत पत्रावली एक्शन प्लान की पत्रावली है। पत्रावली 313 दं.प्र.सं. के बयान हेतु नियत है। मात्र कार्यवाही को विलम्बित करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत मामलें में वादीमुकदमा हरदौल जाटव द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कायमगंज में अभियुक्तगण तस्कील, जावेद, हाशिम, हसीन एवं अज्ञात के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 147,323,504,506 भा.दं.सं. व 3(1)(10) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी थी। विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण तस्कील, जावेद एवं हासिम के विरूद्ध विवेचक द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(10) यथोसंशोधित 3(1)(द) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। पत्रावली बयान अन्तर्गत 313 दं.प्र.सं. नियत है।

अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 6 विमल एवं पी.डब्लू. 7 विशाल कुमार की मुख्य परीक्षा दिनांक 14.05.2026 को अंकित करायी गयी। उक्त दिनांक को बचाव पक्ष की ओर से जिरह हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण जिरह का अवसर समाप्त कर दिया गया।

Digitally signed by TARUN KUMAR SINGH
Date: 2026.07.13 14:59:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि यद्यपि बचाव पक्ष द्वारा पूर्व में उपलब्ध अवसर का समुचित उपयोग नहीं किया गया, तथापि पी.डब्लू. 6 विमल एवं पी.डब्लू. 7 विशाल कुमार से जिरह का अवसर पूर्णतः समाप्त रहने से अभियुक्तगण की प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उक्त दोनों साक्षी प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। ऐसी स्थिति में मामलें के गुण–दोष के आधार पर निर्णय के लिए आवश्यक है कि बचाव पक्ष को अभियोजन साक्षी से जिरह का अवसर प्रदान किया जाए ताकि मामलें के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियां न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट हो सके।

जहां तक बचाव पक्ष द्वारा जानबूझकर जिरह न किये जाने का प्रश्न है तो उसकी क्षतिपूर्ति साक्षीगण को हर्जा दिलाकर की जा सकती है। अतः ऐसी स्थिति में वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र न्यायहित में हर्जे पर **स्वीकार** किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 25B हर्जा ₹ 2,000/– (दो हजार रूपये) पर **स्वीकार** किया जाता है।

बचाव पक्ष उक्त हर्जा अगली नियत तिथि से पूर्व अथवा उसी तिथि पर न्यायालय में जमा करेगा। हर्जा जमा होने के उपरान्त पी.डब्लू. 6 विमल एवं पी.डब्लू. 7 विशाल कुमार को पुनः समन निर्गत कर जिरह हेतु तलब किया जाए।

अभियोजन नियत तिथि पर उक्त साक्षीगण को जिरह हेतु न्यायालय में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें तथा बचाव पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त साक्षीगण के न्यायालय में उपस्थित होने पर उनसे जिरह अवश्य करेगें। किसी प्रकार का कोई स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि प्रस्तुत पत्रावली एक्शन प्लान से सम्बन्धित है, जिसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत शीघ्रातिशीघ्र किया जाना है।

दिनांकः–13.07.2026

(**तरूण कुमार सिंह–I**)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०एक्ट)/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद।